प्रेस विज्ञप्ति
18.04.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर जोनल कार्यालय ने 28.02.2024 को माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए)/सीबीआई-3, जयपुर के समक्ष 05 आरोपियों पुखराज, पीरा राम, सुरेश कुमार उर्फ सुरेश साव, विजय डामोर और अरुण शर्मा के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एक पूरक अभियोजन शिकायत (एसपीसी) दर्ज कर मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध करने के लिए आरोपियों को सजा देने की प्रार्थना की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 15.04.2024 को पूरक अभियोजन शिकायत (एसपीसी) पर संज्ञान लिया है।

ईडी ने बाबूलाल कटारा और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भा.द.स.,1860 की विभिन्न धाराओं के तहत राजस्थान पुलिस द्वारा दर्ज। दायर की गई एफआईआर चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की है।

ईडी की जांच में पता चला कि इन संदिग्ध व्यक्तियों ने आरपीएससी द्वारा 21.12.2022, 22.12.2022 और 24.12.2022 को आयोजित की जाने वाली वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड II प्रतियोगी परीक्षा, 2022 के जीएस पेपर को राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर लीक किया था।

इस मामले में, ईडी ने पहले 05.06.2023 और 13.10.2023 को आरोपी व्यक्तियों के 22 परिसरों पर दो तलाशी ली थी, जिसके परिणामस्वरूप अपराध-संकेती दस्तावेजा/डिजिटल रिकॉर्ड बरामद हुए थे। इसके अलावा, ईडी ने पीएओ दिनांक 18.08.2023 के माध्यम से बाबूलाल कटारा, अनिल मीना उर्फ शेर सिंह मीना और अन्य के 3.11 करोड़ से रुपये की चल और अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क भी की है, जिसकी पुष्टि 19.01.2024 को एलडी निर्णायक प्राधिकरण नई, दिल्ली द्वारा पीएमएलए के तहत की गई है। इसके बाद ईडी ने मार्च, 2024 में अजमेर, जयपुर और डूंगरपुर में स्थित करीब 2.4 करोड़ रुपये मूल्य की 02 चल संपत्तियों और 09 अचल संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। अब तक, ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 08 आरोपी व्यक्तियों बाबूलाल कटारा, अनिल कुमार मीना, भूपेन्द्र सारण, सुरेश कुमार, विजय डामोर, पीराराम, पुखराज और अरुण शर्मा को गिरफ्तार किया है। 03 आरोपी व्यक्तियों बाबूलाल कटारा, भूपेन्द्र सारण और अनिल कुमार मीना के खिलाफ 09.11.2023 को दायर अभियोजन शिकायत का माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जयपुर द्वारा 24.01.2024 को संज्ञान लिया गया है।

आगे की जांच जारी है।